राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	497/2019 सीताराम बनाम सुण्डीलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 31/12/2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
31/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में नियत कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30/05/2017 पारित करते हुए तहसीलदार सांगानेर को वादग्रस्त कृषि आराजीयात खसरा नम्बर 5147 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 5217 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 5218 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 5219 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 5232 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 5233 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 5234 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 5239 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 5241 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 5253 रकबा 0.20 हैक्टेयर, 5254 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 5275 रकबा 0.09 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 1.18 हैक्टेयर वाके ग्राम बगरू-कला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुरका मुताबिक राजस्व रिकार्ड विधिसम्मत बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तकासमा कर कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार सांगानेर द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 04/09/2019 पारित कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 04/09/2019 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत आपत्तियो का परीक्षण/विवेचन किये बगैर एवं स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका निरिक्षण किये जाने एवं उसके अनुसार ही रिपोर्ट होना अंकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से सहखातेदारान के मध्य विभाजन अन्तिम रूप से कर दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह कही स्पष्ट नही होता है कि सुयोग्य राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सीताराम बनाम सुण्डीलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं मौके पर जाकर किन बिंदुओ पर और किस प्रकार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश सम्बंधित तहसीलदार को प्रदान किये गये थे | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी आपत्ति का युक्तियुक्त निस्तारण किये बगैर सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये जाने में त्रुटी किया जाना जाहिर होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04/09/2019 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों की उपस्थिति में पुन: कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करवाया जाना सुनिश्चित कर बाद प्राप्ति कुर्रेजात रिपोर्ट उभयपक्ष को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये प्राप्त आपत्तियो का विस्तृत विवेचनात्मक निस्तारण करते हुये अन्तिम निर्णय व् डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 31/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर